# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

**अपील संख्याः 11/2025 एल.आर.एक्ट** **GCMS No. 2025/9**

1. अमरचन्द दत्तक पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए(बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

## बनाम

1. कमलेश पत्नी कृष्णलाल मेघवाल जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अनूपगढ।
3. सन्तराज पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी चक12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. सिलोचना पुत्री चिमनाराम पत्नी टालीराम जाति मेघवाल निवासी लूणिया तह. अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. तुलसी देवी पुत्री चिमनाराम पत्नी राजकुमार जाति मेघवाल निवासी चक 19 पीटीडी तह. रायसिंहनगर श्रीगांगनगर।
6. आशा देवी पुत्री चिमनाराम पत्नी पालाराम जाति मेघवाल निवासी चक 29 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. अन्ना देवी पुत्री चिमनाराम पत्नी चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 एनडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगांगनगर।
9. कृष्णलाल पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
10. मोहनी देवी पुत्री गोविन्दराम पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी नाहरावाली तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगरं
11. भानीराम पुत्र गंगाराम पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
12. सुखराम पुत्र गंगाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
13. बनवारी पुत्र गंगाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
14. कान्हाराम पुत्र श्री पूर्णराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

संभागीय आयुक्त

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग–बीकानेर

15 श्योपतराम पुत्र श्री पूर्णराम पुत्र गंगाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

16 देवली पुत्री श्री पूर्णराम पुत्र गंगाराम पुत्र गोविन्दराम पत्नी देवीलाली जाति मेघवाल निवासी चक 3 एनडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

17 तीजा देवी पत्नी पुर्णराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

18 द्रोपदी पुत्री लालचंद पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी चक 18 एसडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

19 मायावन्ती पुत्री लालचंद पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी चक 8 ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

20 राजू पुत्र लालचंद पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए(बी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

21 शांति देवी पत्नी लालचंद पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए(बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

22 लिछमणराम पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए(बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

23 दलकी देवी पत्नी तूलसीराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 2 गुरदयाल कॉलोनी घडसाना श्रीगंगानगर।

**– रेस्पोन्डेंट**

| | | |
|---|---|---|
| **उपस्थितः** | श्री विजय भादाणी | अभिभाषक अपीलांट |
| | श्री विजय कुमार पारीक एवं संगीता गहलोत | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 9 |
| | श्री करण सिंह तंवर | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 23 |
| | मोहम्मद यासीन रंगरेज | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 11 |

## निर्णय

**दिनांक 09.03.2026**

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 08.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि चक 79 जीबी का मुरब्बा नंबर 298/432 में 12 बीघा भूमि हेमाराम के नाम से खातेदारी रिकॉर्ड दर्ज थीं। हेमाराम के देहान्त के पश्चात एक मात्र वारिस पत्नी बुधा देवी होने के कारण उसके नाम से इंतकाल दर्ज हुआ। बुधा देवी पत्नी हेमाराम का देहान्त दिनांक 05.08.2004 को हो गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ के समक्ष

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार अनूपगढ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार अनूपगढ के आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 14.12.2017 द्वारा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ को रिमाण्ड कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के आदेश दिनांक 14.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। इस न्यायालय ने उक्त प्रकरण को तहसीलदार अनूपगढ को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि तहसीलदार अनूपगढ सभी पक्षकारों को सुनकर एवं बुधा देवी के पति मृत्तक हेमाराम के वारिसान के संबंध में गहनता से जांच करते हुए जायज वारिसान के हक में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ ने उक्त रिमाण्ड प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 08.01.2025 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पक्ष स्वीकार करते हुए उक्त वादगत भूमि का वसीयत के निर्णय अनुसार कमेलश पत्नी कृष्णलाल जाति मेघवाल के नाम से पूर्व में दर्ज नामांतरकरण की प्रविष्ट वर्तमान जमाबंदी अनुसार यथावत रखे जाने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ के उक्त आदेश दिनांक 08.01.2025 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में लिखी गई वसीयत सफेद पेपर पर लिखी गई हैं वसीयत का यह मूल सिद्धांत है कि पूर्व में वसीयत लिखी गई है तो उसको निरस्त करने का हवाला देना आवश्यक हैं। मगर इस वसीयत में ऐसा कोई उल्लेख नही हैं तथा ना ही दो गवाहों के हस्ताक्षर है तथा इस वसीयत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति कृष्णलाल को अपना पुत्र बताया गया है जबकि उसके कोई पुत्र था ही नही। इसी कारण हेमाराम के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि को इंतकाल एकमात्र वारिस बुधादेवी के नाम दर्ज हुआ। बुधादेवी की वसीयत में एक गवाह गोविन्दराम पुत्र माडूराम जो कमलेश का ससुर है तथा एक अन्य गवाह नारायण राम पुत्र बनवारी लाल है जिसके हक्ताक्षर वसीयत में नही है तथा ये हस्ताक्षर किसके समक्ष किये गये,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर

यह कही पर भी स्पष्ट नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में की गई वसीयत अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड वसीयत पर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के रूल्स 132 के मुताबिक अनरजिस्टर्ड वसीयत पर इंतकाल दर्ज नही किया जा सकता। अपीलांट ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 137 के द्वारा रितिरिवाज में मुताबिक दत्तक पुत्र लिया जा सकता है। गोदनामा इसी श्रेणी में आता है इसको ना मानकर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने बुधा देवी की भूमि पर कब्जा अमरचन्द का माना है तथा अमरचन्द ही इस भूमि की देखरेख व ठेके पर देता था, इससे साफ जाहिर होता है कि अमरचन्द बुधादेवी का उत्तराधिकारी था। रिमाण्ड आदेश के मुताबिक वारिसों की कोई गहनता से जांच नही की गई तथा ना ही प्रस्तुत दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया ताा ना ही उसको ना मानने का करण अपने आदेश में दर्शाया नहीं है। महज अमरचन्द की उम्र 25 वर्ष है तथा एक अन्य कृषि भूमि की जमाबंदी में अमरचंद के पिता गंगाराम दर्ज है। इसको आधार मानकर जो निर्णय दिया गया है वो विधिसम्मत नहीं हैं। अतः अपीलांट प्रस्तुत करके अर्ज है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार अनूपगढ दिनांक 08.01.2025 खारिज फरमाया जावे तथा अपीलांट के नाम से इंतकाल दर्ज किये जाने के आदश दिये जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 9 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 23 ने अपनी लिखित बहस एवं दौराने बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत गोदनामा बुद्धादेवी दिनांक 11.02.2003 अवैध है क्योकि गोदनामा रजिस्टर्ड नही है। गोदनामें का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। उक्त गोदनामें की कोई बेधता नही है। गोदनामें की प्रथम शर्त यह होती है कि गोद जाने वाला नाबालिग होना जरूरी है तथा उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक नही हो सकती जबकि अमरचन्द्र के तथाकथित गोदनामें में स्वयं की उम्र 25 वर्ष लिखी है उक्त गोदनामा अवैध व शून्य है। इस संबंध अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1996 पेज 521 का हवाला दिया। अमरचन्द के द्वारा तथाकथित बुद्धादेवी की वसीयत पेश की गई है जो दिनांक 11.02.2003 को लिखी जाकर ओथकमिश्नर से दिनांक 14.02.2003 तस्दीक करवाई है वसीयत में किस मुरब्बा नम्बर की वसीयत की गई है अंकित ही नहीं है तथा वसीयत में लिखा जाता है कि अमरचन्द पुत्र गंगाराम को वसीयत करती हूँ जबकि अगर दिनांक 11.02.2003 को गोदनामा हो गया था तो वसीयत में गोदपुत्र लिखा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाता जबकि वसीयत में अमरचन्द पुत्र गंगाराम लिखा गया है जो उसका जन्म देने वाला पिता हैं। स्पष्ट है कि गोदनामा हुआ ही नही था तथा वसीयत शून्य है क्योकि अमरचन्द जन्म से ही आज तक अपने परिवार जन्म देने वाले पिता के साथ ही रहता है तथा उसकी की भूमि कें आज भी तारीख में 1/6 हिस्सा अमरचन्द का गंगाराम की भूमि मे है। जिसकी जमाबंदी प्रस्तुत की। बुधादेवी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अपीलाधीन भूमि की वसीयत दिनांक 10.11.2003 को कर दी थी जिससे स्पष्ट है कि प्रथम वसीयत अगर कोई थी तो भी बाद में वसीयत होने से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। इस संबंध अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्याचिक दृष्टांत आरआरडी 2006 पेज 190 एवं आरआरडी 2008 पेज 196 का हवाला दिया। वसीयत सिविल कोर्ट के द्वारा ही निरस्त की जा सकती है, अगर अमरचन्द कमेलश की वसीयत को गलत कहता है तो उसे सिविल न्यायालय में जाना होगा। अपीलांअ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वसीयत को सिविल न्यायाल में चैलेज किया था तथा कमलेश द्वारा उक्त भूमि का बेचवान किया गया उसे भी अमरचन्द ने सिविल न्यायालय में चैलेन्ज किया जो दिनांक 01.03.2025 को वाद खारिज कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उसकी वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज हो गया था तथा प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद पुनः दिनांक 08.01.2025 को कमलेश के पक्ष में सुनवाई की जाकर इंतकाल यथावत रखा गया। अपीलांट द्वारा खातेदारी घोषित करवाने बाबत घोषणान्मक वाद उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सन 2004 से विचाराधीन है। दावें की प्रति व आज तक की फर्द अहकाम की नकल पेश की चुकी हैं। सिविल न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलांट का जो घोषणात्मक वाद जैरकार है उसी में वसीयत बाबत् एवं अधिकारों बाबत अनुतोष वही से प्राप्त करें। इस संबंध अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्याचिक दृष्टांत आरआर 2010 पेज 392, आरआर 2000 पेज 557 एवं आरआर 2008 पेज 383 का हवाला दिया। सिविल न्यायालय ने बैयनामा एवं वसीयत कमलेश वैध करार दी है तथा अमरचन्द का दावा खारिज कर दिया है। माननीय इसी न्यायालय द्वारा निर्णय रानी बनाम रतनजीत कौर दिनांक 05.08.2025 में निर्णय पारित किया है कि वसीयत द्वारा दर्ज इंतकाल बैध रहेगा, आपत्तिकर्ता चाहे तो सिविल न्यायालय में वसीयत को खारिज करवायें। अतः अपील अपीलांट उपरोक्त आधारों पर खारिज की जावे, सिविल न्यायालय का निर्णय हो चुका है। सिविल कोर्ट ने कमलेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की वसीयत वैध करार दिया है एवं बैयनामें को भी बैध करार दिया है। अपीलांट चाहे तो सन 2004 से जैरकार स्वयं के दावें में अधिकार तय करवायें।

4— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ने अपनी लिखित बहस एवं दौराने बहस में कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वसीयत विधि सम्मत नही है क्योकि कमलेश की वसीयत में दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है तथा ना ही दो गवाहों द्वारा उक्त वसीयत को सत्यापित करवाया गया है। श्रीमानजी के न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण रिमाण्ड करके सभी व्यक्तियों को सुनकर तथा वारिसों की जांच करके निर्णय करने के निर्देश दिये थे मगर अदालत मातहत तहसीलदार अनूपगढ ने इन आदेशों की पालना नही की गई। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 05.05.2004 को की गई है। विधि का यह सर्वमत सिद्धांत है कि अंतिम वसीयत ही प्रभावशाली मानी जावेगी। प्रार्थी की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वसीयत के बाद की हुई है। इस कारण भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वसीयत विधिसम्मत नही है। मगर इसके बावजूद भी जो इंतकाल दर्ज किया गया है वो विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 23 को विक्रय कर दी गई है। जबकि इस भूमि पर विक्रय पत्र के दिन स्थगन आदेश इस भूमि पर था मगर इसके बावजूद भी उक्त भूमि का स्थगन आदेश को निष्फल करने की नीयत से उक्त विक्रय पत्र किया गया हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 23 द्वारा जो लिखित बहस पेश की गई हैं वो एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने बिना पेश की गई हैं इस कारण भी रेस्पोडेन्ट संख्या 23 को दिनांक 01.09.2025 को एकतरफा आदेश को सेटअसाईट (निरस्त) कराये बिना लिखित पेश करने कोई लोक्स स्टेण्डाई नहीं हैं। अतः प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया जावे ताकि सभी पक्षकार अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके न्याय की यही गुहार है।

5— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। वादगत भूमि चक 79 जीबी का मुरब्बा नंबर 298/432 में 12 बीघा भूमि कें संबंध में इस न्यायालय ने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि तहसीलदार अनूपगढ सभी पक्षकारों को सुनकर एवं बुधा देवी के पति मृत्तक हेमाराम के वारिसान के संबंध में गहनता से जांच करते हुए जायज वारिसान के हक में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ ने निर्णय में अंकित किया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है कि हल्का पटवारी रिपोर्ट में कब्जा काश्त अमरचन्द का है और चक 79 के अन्य खाते में अमरचन्द के पिता का नाम गंगाराम दर्ज है और अमरचन्द के पक्ष में किया गए गोदनामें में अमरचन्द की आयु 25 वर्ष लिखी गई जो नियमों नियमों के विरूद्ध है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर एवं समस्त दस्तावेजों के अवलोकन के बाद ही अमरचन्द के कथनो को विश्वास योग्य नही माना है। उक्त प्रकरण पत्रावली के अवलोकन से यह न्यायालय संतुष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ ने प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर जांच करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित किया है।

तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ ने उक्त प्रकरण में द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 08.01.2005 पारित कर दिया। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ने द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 10.11.2003 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त वसीयत के आधार पर पारित नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ के निर्णय दिनांक 08.01.2025 को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2025 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2025 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

6– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर